विशेष

न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी–शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्री संजीव कुमार, आर.ए.एस
वाद सं0–. 22/2025

उनवान

1. नरपत सिंह पुत्र स्व0 रूप सिंह
2. प्रहलाद सिंह पुत्र स्व0 बाग सिंह
3. नन्द सिंह पुत्र छाजू सिंह
4. पृथ्वी सिंह पुत्र स्व0 रूप सिंह
   समस्त जाति राजपूत, निवासी निठारा, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज0)

–वादीगण

बनाम

1. कानसिंह पुत्र जलसिंह, जाति राजपूत, निवासी निठारा, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर हाल निवासी प्लाट नं0–117, अमरनगर सी खिरणी फाटक, खातीपुरा, जयपुर, जिला जयपुर, (राज0)
2. राजस्थान सरकार (भु–धारक) जरिये तहसीलदार तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज0)
3. उपपंजीयक, उपपंजीयन कार्यालय–शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज0)

प्रतिवादीगण

4. मोहन कंवर पत्नि स्व0 छाजू सिह
5. संतोष कंवर पुत्री स्व0 छाजू सिंह
6. किरण कंवर पत्नी स्व0 सुरेन्द्र सिंह
7. देवेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 सुरेन्द्र सिंह
8. रेणू कंवर पुत्री स्व0 सुरेन्द्र सिंह
9. अन्नू पुत्री स्व0 सुरेन्द्र सिंह
10. तन्नू पुत्री स्व0 सुरेन्द्र सिंह
    समस्त जाति राजपूत, निवासी निठारा, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज0)

–तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत इश्तकरारहक दुरूस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा–88,89 188 आर.टी.एक्ट

उपस्थित :–

1. श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत अधिवक्ता वादीगण
2. लोकेश चौधरी, अधिवक्ता प्रतिवादी सं0–1 व तरतीबी प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक–4.7.2025

प्रस्तुत वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल आराजी खाता सं0–267 के खसरा नं0–1023/0.16, 1024/0.56, 1025/0.35, 1075/0.58 कुल किता–4 रकबा 1.65 हैक्टर व खाता सं0–206 के खसरा नं0–871/0.04 कुल किता–1 रकबा 0.04 हैक्टर व खाता सं0–265 के खसरा नं0–1164/0.28, 1165/0.24, 1166/0.14, 1166/1559/0.10, 1168/0.28 कुल किता–5 रकबा 1.04 हैक्टर व खाता सं0–30 के खसरा नं0–1018/0.74, 1018/1577/0.30 कुल किता–2 रकबा 1.04 हैक्टर व खाता सं0–65 के खसरा नं0–1091/0.47, 1092/0.39, 1093/0.76, 1094/0.77,

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)

867/0.11, 868/0.08, 869/0.27, 870/0.14, 872/0.03, 873/0.35, 874/0.35, 875/0.35, 876/0.05, 877/0.10, 878/0.11, 879/0.07, 880/0.36, 881/0.47, 882/0.25, 883/0.16, 884/0.19, 885/0.13, 886/0.23, 887/0.12, 888/0.08, 889/0.08, 890/0.35, 891/0.29, 925/0.13, 928/0.12 कुल किता–30 रकबा 7.36 हैक्टर वाकै ग्राम निठारा, पटवार हल्का लेट–निठारा, भू.अभि.नि.क्षेत्र कांट तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है जिसमें प्रतिवादी सं0–1 का हिस्सा 1/4 रिकार्ड ऑफ राईटस में कागजी तौर पर दर्ज है हाल जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है। वाद पत्र के खण्ड सं0–1 में वर्णित आराजी मुतनाजा वादीगण व प्रतिवादी सं0–1 व तरतीबी प्रतिवादीगण की पैतृक संयुक्त हिन्दू खानदान की कृषि भूमि है तथा वादीगण प्रतिवादी सं0–1 व तरतीबी प्रतिवादीगण एक ही हिन्दू खानदान के व्यक्ति है जिनका सजरा खानदान निम्न प्रकार है :–

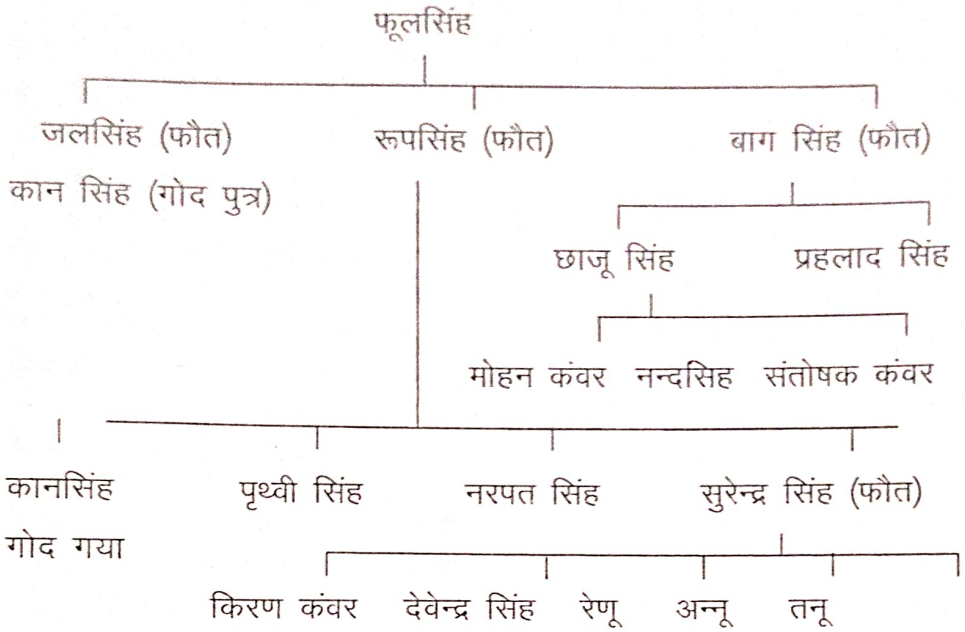

वाद पत्र के खण्ड सं0–1 में वर्णित आराजी मुतनाजा वादीगण व प्रतिवादीगण सं0–1 व तरतीबी प्रतिवादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जो वादीगण के बुजुर्ग फुलसिंह के खातेदारी अधिकारो की कृषि भूमि रही है जो मृतक फुलसिंह के तीन पुत्र क्रमशः जलसिंह, रूपसिंह, बाग सिंह हुये जौ फौत हो चुके है तथा फुलसिंह के सबसे बडा पुत्र जलसिंह हुये है जो अविवाहित थे और कोई जायन्दा संतान नहीं थी। इस कारण सामाजिक रिति रिवाज के रूप में बडे पुत्र कानसिंह प्रतिवादी सं0–1 के गोद गया था मृतक फुलसिंह की खातेदारी भूमि मृतक जलसिंह के बडे पुत्र व कर्ताखानदान होने के कारण खातेदारी सम्पूर्ण डालसिंह नाम दर्ज हो गयी जो राजस्व कर्मचारीयो की गलती के कारण हुआ है, तथा मृतक जलसिंह की मृत्यु के बाद प्रतिवादी सं0–1 के नाम दत्तक पुत्र की हैसियत से खातेदारी दर्ज हो गई जबकि मौके पर मृतक फुलसिंह के वारिसान सजरा खानदान के मुताबिक अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है जबकि कागजी तौर पर प्रतिवादी सं0–1 के नाम खातेदारी दर्ज है जो वादीगण हिन्दू विधि के अनुसार उक्त भूमि को सजरा खानदान के मुताबिक प्राप्त करने के कानूनी अधिकारी है। भुप्रबंध कार्यवाही में मृतक जलसिंह कर्ताखानदान होने की वजह से खातेदारी में अपना नाम दर्ज करवा लिया तथा उसकी मृत्यु के बाद प्रतिवादी सं0–1 का नाम जमाबन्दी में दर्ज हो गया तथा वर्तमान में 1/4 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी सं0–1 अकेले के ही नाम चली आ रही है जो काबिले दुरूस्ती है। वादीगण ने प्रतिवादी सं0–1 से कई मर्तबा रिकार्ड दुरूस्ती का निवेदन कर चुके है परन्तु प्रतिवादी सं0–1 हामी भरता रहा कि समय मिलते ही सजरा खानदान के मुताबिक रिकार्ड दुरूस्ती करवा लेगे जिस पर निरन्तर विश्वास करते रहे तथा अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त रहे है,जबकि दिनांक–04.03.2025 को प्रतिवादी सं0–1 ने रिकार्ड दुरूस्ती के

उप-खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)

लिए स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया व खुले में एलानियॉ धमकी दी कि मैं किसी भी कीमत पर रिकार्ड दुरूस्ती नहीं करवाऊंगा। जबकि अपने नाम फायदा उठाकर सम्पूर्ण हिस्सा 1/4 का अन्तरण दीगर लठैत व्यक्तियो को कर वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण को बेदखल करके रहूँगा अन्यथा में पुख्ता तामीरात करूंगा तथा वादीगण के साथ आमादा फिसाद रहता है जिस कारण वादीगण को अपने विधिक अधिकारों की सुरक्षार्थ वाद पत्र पेश करना अति आवश्यक हुआ है। प्रतिवादी सं0–1 अपने अवैध मंसूबो में किसी कदर कामयाब हो और अपने नाम का फायदा उठाकर अपने हिस्से 1/4 का अन्तरण कर दिया और वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण को बेदखल कर दिया तो वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण को नाकाबिले तलाफी होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी धनराशि में संभव नहीं हो होगी। पक्षकारान में अनावश्यक मुकदमें बाजी बढेगी। अन्त में निवेदन किया कि हाल आराजी खाता सं0–267 के खसरा नं0–1023/0.16, 1024/0.56, 1025/0.35, 1075/0.58 कुल किता–4 रकबा 1.65 हैक्टर व खाता सं0–206 के खसरा नं0–871/0.04 कुल किता–1 रकबा 0.04 हैक्टर व खाता सं0–265 के खसरा नं0–1164/0.28, 1165/0.24, 1166/0.14, 1166/1559/0.10, 1168/0.28 कुल किता–5 रकबा 1.04 हैक्टर व खाता सं0–30 के खसरा नं0–1018/0.74, 1018/1577/0.30 कुल किता–2 रकबा 1.04 हैक्टर व खाता सं0–65 के खसरा नं0–1091/0.47, 1092/0.39, 1093/0.76, 1094/0.77, 867/0.11, 868/0.08, 869/0.27, 870/0.14, 872/0.03, 873/0.35, 874/0.35, 875/0.35, 876/0.05, 877/0.10, 878/0.11, 879/0.07, 880/0.36, 881/0.47, 882/0.25, 883/0.16, 884/0.19, 885/0.13, 886/0.23, 887/0.12, 888/0.08, 889/0.08, 890/0.35, 891/0.29, 925/0.13, 928/0.12 कुल किता–30 रकबा 7.36 हैक्टर वाकै ग्राम निठारा, पटवार हल्का लेट–निठारा, भू.अभि.नि.क्षेत्र कांट तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर में प्रतिवादी सं0–1 का 1/4 हिस्सा हजफ किया जाकर वादीगण व प्रतिवादी सं0–1 व तरतीबी प्रतिवादीगण को खजरा खानदान के मुताबिक जलसिंह, रूपसिंह, बाजसिंह के वादीगण को बराबर बराबर 1/3, 1/3 दर हिस्सा 1/4 का खातेदार काश्तकार धोषित किया जावे तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। हाल नक्शा में साबिक नक्शानुसार वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण का रिकार्ड पुरा किया जाकर बढा रकबा की तरमीम नक्शा में की जाकर रिकार्ड साबिक अनुसार दुरूस्त किया जावे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा सदैव सदैव के लिए इस कदर पाबन्द फरमाया जावे कि वे अथवा उनके नौकर, एजेनट, प्रतिनिधि वारिसान स्थानापन्न वाद पत्र के खण्ड सं0–1 में वर्णित आराजी में दुरूस्त रिकार्ड के अनुसार दर्ज भूमि से वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण को जबरन बेदखल नहीं करे ना ही कब्ज काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत पैदा नहीं करने हेतु पाबन्द फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस जारी किये गये जिस पर प्रतिवादी सं0–1 व तरतीबी प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया तथा प्रतिवादी सं0–2 व 3 अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में ली गई तथा वादी व प्रतिवादी सं0–1 एवं तरतीबी प्रतिवादीगण ने प्रकरण में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा उभय पक्षो ने प्रस्तुत कर वादीगण के दावे को स्वीकार करते हुये मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया तथा हमने ध्यान पूर्वक राजीनामा एवं पत्रावली का अवलोकन किया जिसमें वादी, प्रतिवादी सं0–1 एवं तरतीबी प्रतिवादीगण एक ही हिन्दू खानदान के व्यक्ति है तथा वादीगण के पूर्वज फूलसिंह के तीन पुत्र क्रमशः जलसिंह, रूपसिंह, बागसिंह हुये जिनमें जलसिंह कुटुम्ब में बडा होने व कर्ता खानदान होने की वजह से सम्पूर्ण खातेदारी फूलसिंह के बडे बेटे जलसिंह के नाम दर्ज हो गयी तथा प्रतिवादी सं0–1 कानसिंह जो जलसिंह के छोटे भाई रूपसिंह का बडा पुत्र था गोद जाने से खातेदारी प्रतिवादी सं0–1 के नाम दर्ज है जबकि मौके पर फूलसिंह के तीनो वारिसान के वारिसान वादीगण, प्रतिवादी

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)

सं0–1,तरतीबी प्रतिवादीगण सजरा खानदान के मुताबिक बराबर बराबर हिस्से पर काबिज काश्त है तथा आपसी सहमति से बराबर बराबर खातेदारी दर्ज करवाना चाहते है तथा राजीनामा से विवाद का निपटारा करवाना चाहते है तथा प्रतिवादी सं0–1 ने अपने राजीनामा में प्रश्नगत भूमियो को पैतृक होना व सभी का बराबर बराबर हक अधिकार होना स्वीकार किया है, राजीनामा पर पक्षकारान की पहचान उनके विद्वान अधिवक्ताओं ने की है, जिससे हम सहमत है तथा वादीगण का दावा राजीनामा के मुताबिक डिक्री किया जाना न्याय उचित समझते है।

आदेश

अतः दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी सं0–1 व तरतीबी प्रतिवादीगण को सजरा खानदान के अनुसार मुताबिक राजीनामा खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है जो निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार रहेगे–

1. यहकि हाल आराजी खाता सं0–267 के खसरा नं0–1023/0.16, 1024/0.56, 1025/0.35, 1075/0.58 कुल किता–4 रकबा 1.65 हैक्टर व खाता सं0–206 के खसरा नं0–871/0.04 कुल किता–1 रकबा 0.04 हैक्टर व खाता सं0–265 के खसरा नं0–1164/0.28, 1165/0.24, 1166/0.14, 1166/1559/0.10, 1168/0.28 कुल किता–5 रकबा 1.04 हैक्टर व खाता सं0–65 के खसरा नं0–1091/0.47, 1092/0.39, 1093/0.76, 1094/0.77, 867/0.11, 868/0.08, 869/0.27, 870/0.14, 872/0.03, 873/0.35, 874/0.35, 875/0.35, 876/0.05, 877/0.10, 878/0.11, 879/0.07, 880/0.36, 881/0.47, 882/0.25, 883/0.16, 884/0.19, 885/0.13, 886/0.23, 887/0.12, 888/0.08, 889/0.08, 890/0.35, 891/0.29, 925/0.13, 928/0.12 कुल किता–30 रकबा 7.36 हैक्टर वाकै ग्राम निठारा, पटवार हल्का लेट–निठारा, भू.अभि.नि.क्षेत्र कांट तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर में कानसिंह पुत्र जलसिंह के हिस्सा 1/4 को हजफ किया जाकर वादी सं0–1, 4 एवं तरतीबी प्रतिवादी सं0–6 लगायत 10 को हिस्सा 1/12 एवं वादी सं0–2 हिस्सा 1/24, वादी सं0–3 एवं तरतीबी प्रतिवादी सं0–4 व 5 को हिस्सा 1/24 एवं प्रतिवादी सं0–1 को हिस्सा 1/12 सम्पूर्ण खाते में एवं खाता सं0–30 के खसरा नं0–1018/0.74, 1018/1577/0.30 कुल किता–2 रकबा 1.04 हैक्टर वाकै ग्राम निठारा तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर में कानसिंह पुत्र जलसिंह के हिस्सा 8/13 की जगह वादी सं0–1, 4 एवं तरतीबी प्रतिवादी सं0–6 लगायत 10 हिस्सा 8/39 एवं वादी सं0–2 को हिस्सा 8/78 एवं तरतीबी प्रतिवादी सं0–4 व 5 एवं वादी सं0–3 को हिस्सा 8/78 एवं प्रतिवादी सं0–1 को हिस्सा 8/39 सम्पूर्ण खाते में खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। राजीनामा निर्णय का जुर्ज रहेगा । राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावे। पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 4.7.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजीव कुमार)
उप खण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
शाहपुरा, जिला जयपुर (राज.)

उप खण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
शाहपुरा, जिला जयपुर (राज.)